राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2018/179 दिनांक : 09/04/18

आदेश

श्री हनुमान सिंहल पुत्र श्री सीताराम सिंहल पता खिरणी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर (राज0) ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर में दायर एस.बी.सि.रिट पिटिशियन संख्या 3974/2018 में पारित आदेश दिनांक 21.02.18 की पालना में पूरक परीक्षा के वास्तविक अंकों को जोडकर प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 में प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का पारित आदेश दिनांक 21.02.18 निम्न प्रकार से है:–

" In view of the limited prayer addressed; the instant writ proceeding are closed with liberty reserved to the petitioner to address a comprehensive reorientation to the respondents in the backdrop of directions issued by the Coordinate Beach of this Court in the case of Mukesh Kumar Tailor (supra), within two weeks hereinafter.

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law; preferably, within ten weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.

with the observations and directions, as indicated above, the writ as well as stay application stand disposed off."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के पारित आदेश दिनांक 21.02.18 के पालना में अभ्यर्थी/याचि श्री हनुमान सिंहल पुत्र श्री सीताराम सिंहल प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 सामान्य वर्ग में ऑनलाईन आवदेन (आई.डी.न0 17120004045) किया है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि अभ्यर्थी/याचि ने पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया दिल्ली से जारी डी.एम.एल.टी. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं होने के कारण चयन समिति ने मान्य नही किया है। अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर से जारी दिनांक 12.05.2008 से 30.06.2013 तक(कुल कार्यावधि 5 वर्ष 1 माह 18 दिवस) एस.टी.एल.एस. के पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें से एक वर्ष का अनुभव तकनीकी योग्यता में सम्मलित करने के फलस्वरूप शेष अनुभव के 15 प्रतिशत बोंनस अंक देय है। याचि/अभ्यर्थी के पूरक परीक्षा के वास्तविक अंकों को जोड़ने के पश्चात् सैकण्डरी के कुल प्राप्तांक 39.81 प्रतिशत है, जिसका 85 प्रतिशत वेटेज 33.84 प्रतिशत होता है। इस प्रकार बोंनस के 15 प्रतिशत अंक जोडते हुए अभ्यर्थी/याचि का औसत प्राप्तांक 48.84 प्रतिशत बनता है।

जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 2900/2016 मांगीलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 13920/2015 श्री नरेन्द्र कुमार जोशी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.16 की पालना में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट याचिका संख्या 578/2016 प्रदीप सिंह बनाम राज सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 की पालना में पूरक परीक्षा में वास्तविक अंको को जोड़ने के पश्चात अन्तिम कटऑफ से उच्च वरियता वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग की वरियता सूची में सम्मिलित करने के फलस्वरूप अनारक्षित वर्ग की अन्तिम कटऑफ 48.69 प्रतिशत के स्थान पर 49.31 प्रतिशत रही है जबकि श्री हनुमान सिंहल पुत्र श्री सीताराम सिंहल का औसत प्राप्तांक 48.84 प्रतिशत है। इस प्रकार अभ्यर्थी/याचि अनारक्षित वर्ग की वरियता सूची में स्थान बनाने में असफल रहा है। अतः माननीय न्यायालय के पारित आदेश की पालना में याचि/अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2018/179 दिनांक : 09/04/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. उप निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय एवं केस प्रभारी अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. श्री हनुमान सिंहल पुत्र श्री सीताराम सिंहल पता खिरणी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर राज0 (रजिस्टर्ड)
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।